हाशिए का अध्ययन : गुजरात की समुद्री मछुआरिनें

सुबोध कुमार

प्रस्तावना

समुद्र जल का महज़ एक विशाल भंडार ही नहीं अपितु ऑक्सीजन, जलवायु नियंत्रण के साथ-साथ जगत को भोजन एवं रोज़गार प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत भी है। सदियों से समुद्र का इस्तेमाल यात्रा तथा विश्व की खोज के लिए किया गया और आज यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अहम वाहक भी है। तमाम जलीय खाद्य जीव दुनिया में सर्वाधिक विपणित होने वाले खाद्य पदार्थ हैं जिसका विकासशील देश उत्पादन (संग्रहण) करते हैं तथा विकसित देशों को बेचते हैं। आज चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड तथा वियतनाम आदि देश एशिया में जलीय खाद्यजीवों के मुख्य उत्पादक हैं। पिछले कुछ दशकों में इन देशों की मात्स्यिकी[1] नीति उत्पादन वृद्धि पर केंद्रित रही है और सफल भी रही है। इन नीतियों के

[1] मात्स्यिकी अर्थात् जलीय खाद्य जीवों का संग्रहण और पालन.यहाँ हम मछली पकड़ने अथवा माछिमारी के कार्य को संग्रहण के नाम से पुकारते हैं. यहाँ समुद्र मात्स्यिकी का तात्पर्य समुद्र से प्राप्त किए जाने वाले खाद्य जीवों से है जिसका संग्रहण मछुआरे करते हैं. यह गतिविधि एक व्यवसाय के रूप में विकसित है तथा संपूर्ण विश्व में 59.6 मिलियन लोग मात्स्यिकी तथा इससे संबंधित व्यवसाय से जीवनयापन कर रहे हैं. भारत में 14 मिलियन लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मात्स्यिकी से जुड़े हैं. पश्चिम भारतीय लोकभाषाओं में मछुआरा के लिए माछीमार, माछी अथवा मछुआ शब्दों का प्रचलन है.

फलस्वरूप ढाँचागत विकास के साथ-साथ बड़ी नौकाओं तथा उत्कृष्ट उपकरणों व तकनीकों का आगमन हुआ है, जिससे उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है। इस हेतु विभिन्न स्रोतों से भारी निवेश भी हुआ है।

अगर योगदान की बात करें तो पारंपरिक रूप से मात्स्यिकी में पुरुषों का एकाधिकार दर्शाया जाता रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के बिना यह क्षेत्र अधूरा है। मात्स्यिकी तथा जलकृषि (ऐक्वाकल्चर) में महिलाएँ हमेशा से उपेक्षित रही हैं तथा इनके योगदान को उचित पहचान नहीं मिली है। भारतीय तटीय राज्यों के मछुआरा समाजों में महिलाओं का योगदान काफ़ी वृहत एवं महत्त्वपूर्ण है। मात्स्यिकी में पूर्व-संग्रहण, संग्रहण से लेकर संग्रहणोत्तर कार्यविधियों[2] तक के तमाम अनुभागों में इनकी भूमिका पुरुष समकक्षों की तुलना में काफ़ी विविधता से भरा है। वे मात्स्यिकी के लगभग सभी प्रारूपों एवं गतिविधियों में सक्रियता से लगी रहती हैं। तथापि समाज में पूर्व व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं लैंगिक भेदभाव के फलस्वरूप, जिसका आधार ही हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इन महिलाओं को समुदाय के भीतर एवं बाहर विभिन्न स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, राष्ट्रीय सह वैश्विक मात्स्यिकी में महिलाओं के प्रयासों को बेहद निम्न तौर पर दर्शाया एवं स्वीकार किया जाता रहा है। एक परंपरागत तथा छोटे पैमाने के व्यवसाय मात्र से आगे बढ़कर मात्स्यिकी के आज एक विकसित उद्योग (मत्स्योद्योग) के रूप में स्थापित होने की यात्रा में महिलाओं को कभी भी पर्याप्त श्रेय नहीं दिया गया। बढ़ती हुई वैश्विक मात्स्यिकी अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को कभी पर्याप्त रूप से दर्शाया नहीं गया है।

सेन एवं ग्रोन (1987) के अनुसार दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास ने महिलाओं, विशेषतः ग़रीब तथा हाशिए पर की महिलाओं की स्थिति को सुधारने के बजाय कमज़ोर ही किया है। पुरुष केंद्रित विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप आई आधुनिक तकनीकों तथा नए व्यवसायों से कुछ मामलों में इस वर्ग की महिलाओं का हाशियाकरण ही हुआ है।[3] 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1960 के दशक में प्रचलित पारिभाषिक पद 'विमेन इन डेवलपमेंट' (WID) को आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया था जो महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का आह्वान करता है। वहीं 'विमेन ऐंड डेवलपमेंट' (WAD) विकास की प्रक्रिया एवं महिलाओं के बीच के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालता है और सामाजिक असमानता तथा वर्ग व लिंग आधारित शोषण आदि मुद्दों की पड़ताल करता है। बाद में 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में 'जेंडर ऐंड डेवलपमेंट' (GAD) की अवधारणा का उदय हुआ जो लिंग आधारित श्रम का विभाजन और महिलाओं की उत्पादन के संसाधनों तक पहुँच एवं नियंत्रण पर एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित समाज की प्रस्थापना करता है। उपरोक्त सभी धारणाओं पर आधारित शाखाएँ जैसे 'विमेन ऐंड फ़िशरीज़' (WAF), 'विमेन

[2] जिसे अंग्रेज़ी में प्री-हार्वेस्ट, हार्वेस्ट तथा पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियाँ कहते हैं.

[3] जेनेट रुबिनॉफ़ (1999) : 632.

इन फ़िशरीज़' (WIF), आदि का प्रतिपादन मात्स्यिकी के क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने हेतु किया गया है। हालाँकि 'जेंडर ऐंड फ़िशरीज़' (GAF) को इस आशंका से मात्स्यिकी के क्षेत्र में पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया गया कि यह महिला केंद्रित मुद्दों, मसलन महिलाओं के विभिन्न आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बोझों, ग़रीबी के बढ़ते स्त्रीकरण और महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता आदि को भटका देगा।[4] इन प्रयासों के उपरांत भी मात्स्यिकी में महिलाओं की स्थिति में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है।

आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप बीसवीं सदी के अंतिम कुछ दशकों में गुजरात तथा अन्य राज्यों ने पुरज़ोर रूप से आर्थिक एवं औद्योगिक सुधारों पर ज़ोर दिया। इन सुधारों का उद्योग, रोज़गार और काम के वैश्विक स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया में ख़ासा योगदान रहा है।[5] आज़ादी के उपरांत अन्य उद्योगों की तरह मत्स्योद्योग भी इन सुधारों से अछूता नहीं रहा और इसमें भी व्यापक तौर पर क्रांतिकारी बदलाव हुए। ये बदलाव मुख्यतः मात्स्यिकी में आधुनिकीकरण, नई तकनीक, बाज़ार से जुड़ाव, तथा मछुआरा समाजों के बदलते सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक हालात थे। इन परिवर्तनों ने मात्स्यिकी पर गहरे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव भी डाले।[6]

हालाँकि भारतीय मात्स्यिकी में शुरुआत (बीसवीं सदी के मध्य से) से हुए परिवर्तन उत्पादन वृद्धि से ही प्रेरित रहे। बाद के दशकों में विशेषतः नव उदारवाद के दौर में जब निर्यात आधारित वृद्धि की शुरुआत हुई तब भारतीय मात्स्यिकी का मुख्य आकर्षण मुनाफ़ा वृद्धि की तरफ़ केंद्रित हो गया। इस प्रक्रिया में औद्योगिक पूँजीवाद जब मात्स्यिकी में अपनी

[4] एम.जे. विलियम्स (2011) : 06.

[5] इंदिरा हिरवे तथा अन्य (2002) : ix.

[6] डेरेक जॉनसन (2001) : 1095-1097+1090-1102.

उपस्थिति दर्ज करने लगा तब छोटे स्तर[7] के मछुआरे, जिनका जीवनयापन रोज़ के मत्स्य संग्रहण पर आधारित था, हाशिए की तरफ़ जाने लगे। एक बड़ी आबादी, जो सीधे तौर पर इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी, उनके हित मुट्ठीभर पूँजीवादी उद्योगपतियों के सामने बौने पड़ने लगे। अतः बढ़ते उत्पादन तथा मुनाफ़े की क़ीमत आज इन छोटे स्तर के मछुआरों को चुकानी पड़ रही है जो अपनी आजीविका के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा अपने सांस्कृतिक एवं पारंपरिक पेशे से विस्थापित हो रहे हैं।

आज़ादी के उपरांत, ख़ासकर 1990 के बाद उदारीकरण के दौर में, जहाँ चारों तरफ़ औद्योगीकरण की होड़ मची है, गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र इन गतिविधियों से अछूते नहीं रहे हैं। आज गुजरात में देश के व्यस्ततम बंदरगाह, बड़ी रिफ़ानरी, विद्युत संयंत्र तथा अनेक विशाल औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो समुद्र तट पर स्थित हैं। इन तटों पर कई औद्योगिक शहर बसाए गए हैं। इन शहरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न हुए ख़तरों तथा समस्याओं का सीधा असर तट पर बसे समुदायों पर पड़ा है। उनकी आजीविका पर असर तो पड़ा ही है साथ ही अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ भी पैदा हुई हैं। उद्योग जनित प्रदूषण के कारण संग्रहण पर भी असर हो रहा है जिससे आजीविका संबंधित ख़तरे उत्पन्न हो गए हैं।

गुजरात के तटीय इलाक़ों में वर्ष 2017 से 2019 के दौरान प्रजाति लेखन पद्धति से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत शोधपत्र मात्स्यिकी के उस महत्त्वपूर्ण हिस्से को दर्शाने का प्रयास करता है जिसकी प्रायः कोई चर्चा नहीं होती है – यह महत्त्वपूर्ण हिस्सा मछुआरा समुदाय की महिलाएँ हैं। आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ मात्स्यिकी के स्वरूप में लगातार परिवर्तन हो रहा है, यह शोधपत्र विवेचनात्मक दृष्टि से महिलाओं की वर्तमान स्थिति को दर्शाने का प्रयास करता है।

वैचारिक दृष्टिकोण तथा शोध क्रियाविधि

यह शोध आलेख गुजरात के समुद्रतटीय समुदायों में महिलाओं की स्थिति तथा हो रहे बदलावों को समालोचनात्मक सबॉल्टर्न परिप्रेक्ष्य के द्वारा विश्लेषण करने की कोशिश करता है। साथ ही यह आलेख वैचारिक समझ के लिए नारीवादी, प्रतिच्छेदन तथा पॉलिटिकल इकॉनमी दृष्टिकोणों का समान रूप से अनुसरण करता है।

---

[7] छोटे स्तर अथवा पैमाने की मात्स्यिकी जिसे अंग्रेज़ी में स्मॉल स्केल फ़िशरीज़ (SSF) कहते हैं, मछली पकड़ने तथा इस गतिविधि से जीवनयापन का एक परंपरागत तरीक़ा है जिसे हमारे देश के मछुआरे सदियों से करते आ रहे हैं. समय की ज़रूरत के साथ-साथ यह प्राथमिक गतिविधि एक व्यवसाय में परिणत होती चली गई. मोटे तौर पर यह मछुआरों के लिए जीवन जीने की एक कला है तथा इससे प्राप्त होने वाले उत्पादों की खपत घरेलू स्तर पर होती है अथवा स्थानीय स्तर पर उसकी बिक्री होती है.

बड़े स्तर की मात्स्यिकी जिसे अंग्रेज़ी में लार्ज स्केल फ़िशरीज़ कहते हैं, एक पूर्णतः विकसित तथा व्यापारिक पद्धति है जिसमें तकनीकी माध्यमों के द्वारा भारी मात्रा में संग्रहण होता है. यह पूँजीवादी तथा बाज़ार आधारित व्यवसाय है जहाँ घरेलू सहयोग की कम गुंजाइश रहती है.यह व्यवसाय कुशल कामगारों के द्वारा संचालित होता है. गुजरात में मुख्यतः यह एक निर्यात आधारित व्यवसाय है.

शोध प्रणाली : प्रस्तुत आलेख मूल रूप से गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरे पीएचडी शोध पर आधारित है जो एक अन्वेषणात्मक शोध था। इस शोधकार्य हेतु गुजरात के समुद्रतटीय इलाक़ों में वर्ष 2017 से 2019 के बीच आवधिक अंतरालों पर जानकारी एकत्र की गई। मुख्यतः यह एक प्रजाति लेखन पद्धति आधारित फ़ील्डवर्क था जिसमें गुजरात के 1600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर बसे गाँवों को क्षेत्रकार्य की सुगमता हेतु तीन मुख्य क्षेत्रों में बाँटा गया – दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ। तीनों क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों, जैसे मछुआरा बस्तियों, अवतरण केंद्रों, स्थानीय मछली बाज़ारों तथा अन्य संबंधित स्थलों पर मछुआरा समुदाय की महिलाओं तथा पुरुषों से साक्षात्कार, बातचीत, गहन पर्यवेक्षण एवं फ़ोकस्ड ग्रुप डिस्कशन (FGD) द्वारा जानकारी एकत्रित की गई। इसके अतिरिक्त अन्य ग़ैर मछुआरा मत्स्य कामगारों, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, मर्मज्ञों, विशेषज्ञों, मात्स्यिकी अधिकारियों, तथा बुद्धिजीवियों से विषयवस्तु पर स्पष्टता हेतु चर्चाएँ की गईं। क्षेत्रकार्य के स्थलों का विवरण इस प्रकार है :

1. तीथल, नानी दांती, मगोद डूंगरी, तीथल दिवादांडी, उमरगाम तथा देहरी (वलसाड ज़िला)
2. धोलाई, खपरवाडा माछीवाड़, नवसारी मछली बाज़ार (नवसारी ज़िला)
3. भाडभुत, भरूच मछली बाज़ार, भरूच शहर (भरूच ज़िला)
4. वेरावल, भिड़िया, चोरवाड़, जलेश्वर गाँव, वेरावल मछली बाज़ार, पुराना लाइट हाउस, भिड़िया बड़ा मछली बाज़ार, वेरावल मत्स्य प्रसंस्करण कारखाना क्षेत्र (गीर सोमनाथ ज़िला तथा जूनागढ़ ज़िला)
5. मोटा सलाया, मांड़वी, मुंद्रा, लूनी, भद्रेश्वर (कच्छ ज़िला)

पर्यवेक्षण के दौरान प्रयास रहा है कि ज़मीनी स्तर की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः समाज विज्ञान में प्रचलित 'एमिक' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रकार्य किया गया है। इस प्रक्रिया में स्थानीय मछुआरों तथा कामगारों के दृष्टिकोण, समझ तथा उनकी अनुभूति को ध्यान में रखते हुए जानकारी एकत्र की गई है।

गुजरात : समुद्र मात्स्यिकी एवं मछुआरे

अरब सागर के 1600 किलोमीटर लंबे तट पर स्थित पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात समुद्र मात्स्यिकी उत्पादों का आज सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। यहाँ 2.14 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र[8] है जो मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। विभागीय आँकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019-20 में कुल समुद्र मात्स्यिकी संग्रहण 37.27 लाख टन रहा, जिसमें गुजरात का योगदान 7.01 लाख टन था।[9] यहाँ कुल 14 तटीय जिले एवं 37 तालुक़े हैं। समुद्र मात्स्यिकी जनगणना 2010[10] के अनुसार राज्य के

[8] एक्सक्लूसिव इकॉनॉमिक जोन (EEZ).

[9] मात्स्यिकी विभाग (2020) : 08.

[10] जो मछुआरों की जनसंख्या संबंधित आँकड़ों का अब तक का सबसे नवीनतम स्रोत है.

247 समुद्र तटीय गाँवों में क़रीब 3.36 लाख मछुआरे (लगभग 62 हज़ार परिवार) निवास करते हैं। इनमें से 96 प्रतिशत परंपरागत मछुआरे समुदाय से हैं तथा क़रीब 25 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के दायरे में गुज़र-बसर कर रहे हैं। लगभग 44 प्रतिशत लोगों ने विभिन्न स्तरों की शिक्षा प्राप्त की है। इन सभी ज़िलों में 75 प्रतिशत मछुआरे हिंदू हैं तथा अन्य पिछड़े वर्ग से हैं। मात्र 6 प्रतिशत मछुआरे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं।[11] जबकि अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के मछुआरों का प्रतिशत गुजरात की तुलना में अधिक है।

उत्तर में लखपत (कच्छ) से लेकर दक्षिण में उमरगाम (वलसाड) तक के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से कोली, खारवा, मछियारा, माछी, टंडेल, मुगैना, मांगेला, हलपति, मितना, और वाघेर जाति के मछुआरे बसे हैं जो मूलतः समुद्र में मछली पकड़ने के पेशे में लगे हुए हैं। तटों पर बसे इन समुदायों के लिए मछली पकड़ना एक मुख्य आर्थिक गतिविधि, जीवनयापन का ज़रिया, और एक परंपरागत पेशा है, जिसे ये सदियों से करते आ रहे हैं। मछली पकड़ने के अलावा तट पर रहने वाले समुदाय अन्य ग़ैर-मात्स्यिक गतिविधियों से भी अपना जीवनयापन करते हैं, जैसे- खेती तथा खेतों में मज़दूरी, पशुपालन तथा डेयरी, नमक उत्पादन, दिहाड़ी मज़दूरी, कल-कारख़ानों में नौकरी, आसपास के शहरों में छोटे-मोटे काम आदि। भारत सरकार के आँकड़ों के मुताबिक़ गुजरात पिछले कुछ दशकों से भारत में समुद्री उत्पादों (मत्स्योत्पाद) का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बन कर उभरा है।[12]

गुजरात की मछुआरिनें

मत्स्योद्योग अथवा मात्स्यिकी के विकास के इतिहास में महिलाएँ निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण रही हैं। हालाँकि इनकी उपस्थिति को मोटे तौर पर नज़रअंदाज़ ही किया गया है तथा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं ने हमेशा उन्हें पुरुषों से कमतर ही आँका है। गुजरात इन सब से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी महिलाओं की स्थिति अन्य तटीय राज्यों की तरह ही है।

मात्स्यिकी में महिलाओं की उपस्थिति क्षेत्र एवं समुदाय आधारित है। कहीं इनकी उपस्थित नगण्य है तो कहीं तत्परता से मात्स्यिकी में सक्रिय हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत के तमिलनाडु तट पर मछुआरा समुदाय की महिलाएँ समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के लिए सीधे तौर पर समुद्र से जुड़ी हैं तथा डुबकी लगाकर शैवालों का संग्रहण करती हैं। वे मात्स्यिकी के अन्य परंपरागत कार्यों को निबटाने के पश्चात शैवाल संग्रहण का काम करती हैं। उनके परिवार का जीवनयापन इस व्यवसाय पर निर्भर है। वहीं, साधारणतया गुजरात की मछुआरिनें सीधे तौर पर समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाती हैं। कुछेक उदाहरणों को छोड़कर

[11] समुद्र मात्स्यिकी जनगणना, गुजरात (2010) : 03.

[12] मात्स्यिकी विभाग (2020) : 06.

(जिसका वर्णन हम आगे करेंगे) यहाँ महिलाएँ प्रत्यक्षरूप से मछली नहीं पकड़तीं।[13] अतः मात्स्यिकी और मत्स्योपादन में महिलाओं की भूमिका का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। यह बात गुजरात की मछुआरिनों पर भी लागू होती है। यहाँ मछुआरिनें विभिन्न समुदायों में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से समृद्ध मछुआरा परिवारों की महिलाओं का जुड़ाव पारंपरिक व्यवसाय से कम ही है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि परिवार-प्रबंधन में अन्य क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा मात्स्यिकी क्षेत्र की महिलाओं का अधिक योगदान रहता है।

गुजरात में, ख़ास कर 'छोटे पैमाने की मात्स्यिकी' में महिलाओं की भूमिका 'बड़े पैमाने की मात्स्यिकी' की तुलना में अधिक विस्तृत एवं मुख़्तलिफ़ है। यह भूमिका मात्स्यिकी के क्षेत्र, समुदाय और प्रकार पर निर्भर करती है। हालाँकि मात्स्यिकी के प्रकार, जैसे कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी अथवा औद्योगिक मात्स्यिकी के आधार पर किया गया वर्गीकरण समाज में महिलाओं की स्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीक़े से दर्शाता है।

क) बड़े पैमाने की मात्स्यिकी में महिलाएँ

बड़े पैमाने की मात्स्यिकी को अक्सर 'औद्योगिक मात्स्यिकी' अथवा 'व्यापारिक मात्स्यिकी' कहा जाता है। मात्स्यिकी जगत में इन तीनों पदों का समानार्थक प्रयोग होता है। वस्तुतः इस

[13] यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि महिलाएँ प्रत्यक्ष रूप से मछली नहीं पकड़तीं. महिलाएँ हमेशा से छोटे-मोटे जालों तथा अन्य पारंपरिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों का संग्रहण करती रही हैं. कुछ विशेष प्रजातियों के संग्रहण के लिए डुबकी भी लगाती रही हैं. महिलाओं के व्यावसायिक नौकाओं पर काम करने तथा मछली पकड़ने के प्रमाण कुछ देशों से मिलते हैं, हालाँकि इनकी संख्या बेहद कम है. वास्तविकता यह है कि इन गतिविधियों को लेखनों तथा चर्चाओं में उचित व पर्याप्त स्थान कभी नहीं मिला.

पैमाने की मात्स्यिकी में छोटे पैमाने की तुलना में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। बड़ी-बड़ी यंत्रीकृत नौकाओं में अत्याधुनिक तकनीक से मछली पकड़ी जाती है। गुजरात में औद्योगिक मात्स्यिकी के अनेक बड़े केंद्र हैं, जैसे वेरावल, पोरबंदर, भरूच, वलसाड और कच्छ। यहाँ मछुआरे बड़ी नौकाओं तथा ट्रॉलरों से भारी मात्रा में मछली तथा अन्य जलीय उत्पादों का संग्रहण करते हैं। इस प्रकार की मात्स्यिकी में महिलाओं की भूमिका संग्रहण के उपरांत के कार्यों तक सीमित होती है। यहाँ ज़्यादातर कामगार गुजरात तथा अन्य राज्यों के मछुआरे एवं ग़ैर-मछुआरे समुदाय के पुरुष ही होते हैं। पूर्व-संग्रहण[14], संग्रहण (समुद्र में मछली पकड़ना) तथा संग्रहण के उपरांत के कार्यों[15] में ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं। बहरहाल, बड़े पैमाने की मात्स्यिकी में पूर्व-संग्रहण एवं संग्रहण के उपरांत के कार्यों में कुछ हद तक महिलाओं की भी भागीदारी रहती है। उपरोक्त औद्योगिक मात्स्यिकी केंद्रों में क्षेत्रकार्य के दौरान मैंने पाया कि बहुत ही कम संख्या में महिलाएँ जाल एवं रस्सी की मरम्मत कर रही थीं। सामान्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि बड़े पैमाने की मात्स्यिकी में पूर्व-संग्रहण एवं संग्रहण के उपरांत के कार्यों में महिलाएँ पुरुषों की मदद करती हैं।

संग्रहण के उपरांत के कार्य जो मछली से भरे नौकाओं के तट पर आने के साथ ही शुरू होते हैं, महिलाओं की भूमिका विस्तृत रूप से शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत मछलियों तथा अन्य उत्पादों की छँटाई, बर्फ़ द्वारा परिरक्षण, वज़न और पैकिंग करने से हो जाती है। ये सभी कार्य हाथों से किए जाते हैं। इसके साथ ही मछली विक्रेता का कार्य करने वाली वे तमाम महिलाएँ और मछुआरिनें अवतरण स्थलों से अपने दिन की शुरुआत करती हैं। वे यहाँ से अपनी टोकरियाँ और ठेले भर कर आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करके अथवा एक जगह दुकान लगाकर मछलियाँ बेचती हैं। अन्य महिलाएँ सैकड़ों की संख्या में परिष्करण केंद्रों तथा कारख़ानों में कार्य करती हैं। इन यांत्रिक तथा हाथों से संचालित परिष्करण केंद्रों में उत्पादों के कच्चे तथा शुष्क परिष्करण शामिल हैं। वेरावल तथा पोरबंदर की परिष्करण फ़ैक्ट्रियों में मछुआरा तथा ग़ैर-मछुआरा समुदाय की महिलाएँ मुख्य रूप से कार्य करती हैं और इनकी संख्या पुरुष कामगारों की तुलना में अधिक है। यहाँ तक कि स्थानीय मछली बाज़ारों को भी मुख्य रूप से महिलाएँ ही संचालित करती हैं। वेरावल, पोरबंदर, भरूच, वलसाड, मांडवी, आदि समुद्र तटीय शहरों के स्थानीय मछली बाजारों में सूखे तथा कच्चे उत्पादों की खुदरा विक्रेता महिलाएँ ही हैं।

[14] इसमें समुद्र में जाने से पहले की तैयारी, जैसे रस्सी बनाना, जाल बुनना, नाव बनाना, दोनों की मरम्मत करना, ईंधन, पानी, खाद्य सामग्री, और नौकाओं में बर्फ़ भरना आदि मुख्य कार्य हैं.

[15] जैसे मछली से भरी नौका ख़ाली करना, पूर्व-प्रसंस्करण, छँटाई एवं श्रेणीबद्ध करना, सफ़ाई करना, तौलना, बिक्री करना, ढुलाई करना, शुष्कन, प्रसंस्करण, जाल से मछली अलग करना, जाल समेटना, जाल की मरम्मत करना आदि अनेक कार्य.

ख) छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में महिलाएँ

छोटे पैमाने का तात्पर्य उन परंपरागत मछुआरों से है जो महज जीवनयापन के लिए मछली पकड़ते हैं। वे आधुनिक तकनीक का नगण्य प्रयोग करते हुए परंपरागत विधियों द्वारा मछली पकड़ते हैं तथा संग्रहण की मात्रा काफ़ी कम होती हैं। इनके उत्पादों का उपभोग ज़्यादातर घरेलू व स्थानीय स्तरों पर ही होता है। इस उपक्रम में परिवार का योगदान होता है तथा सभी सदस्य मिलजुल कर संग्रहण करते हैं। विश्व में सर्वाधिक परंपरागत मछुआरे इसी वर्ग से आते हैं। छोटे पैमाने का मत्स्यन आज वहनीय मात्स्यिकी का मुख्य हिस्सा है तथा मत्स्य संसाधनों का न्यूनतम दोहन करते हुए एक बड़ी जनसंख्या को आजीविका का साधन प्रदान कर रहा है।

बड़े पैमाने की तुलना में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा जीवंत है। नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के सिवाय यहाँ महिलाएँ सभी प्रकार के कार्य करती हैं। तथापि महिलाएँ उन तमाम जलीय-खाद्यों का संग्रहण करती है जिसमें नौकाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए 'पगड़िया पद्धति'[16], जो कच्छ तथा दक्षिण गुजरात के छिछले समुद्र तटों, समतल पंक क्षेत्रों और अंतरज्वारीय क्षेत्रों में प्रचलित है, महिलाएँ बड़ी संख्या में योगदान देती हैं। वे विभिन्न प्रकार के जालों का इस्तेमाल करते हुए पुरुष मछुआरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी से संग्रहण करती हैं। यहाँ महिलाएँ समुद्र के अलावा छोटी नदियों, खाड़ी तथा मुहानों पर व्यापक तौर पर काम पर लगी रहती हैं। एक अन्य उदाहरण खंभात के खाड़ी क्षेत्र का है जहाँ भारी मात्रा में लेवटा (मड-स्कीपर) मछली का संग्रहण किया जाता है। यह प्रायः समुद्र तट, खाड़ी, मुहानों तथा छोटे-मोटे नालों के कीचड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है जिसे जाल अथवा सीधे हाथों से पकड़ा जाता है। इसके संग्रहण में महिलाएँ भी समान रूप से लगी रहती हैं जो आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। इसके अतिरिक्त तटों के किनारे केकड़ों तथा घोंघों का संग्रहण महिलाएँ करती हैं।

मात्स्यिकी क्षेत्र में व्यापक बदलाव के फलस्वरूप महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक गतिविधियाँ संकुचित हुई हैं। निकिता गोपाल (2015) बताती हैं कि यांत्रिकीकरण तथा छोटे व ग्रामस्तरीय अवतरण स्थलों के बदले बड़े मत्स्यन बंदरगाहों पर अवतरण गतिविधियों की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप मछुआरिनों के रोज़गार पर असर पड़ा है। इन मत्स्यन बंदरगाहों पर मछुआरिनों की पहुँच तथा रोज़गार की न्यूनतम संभावनाएँ रह गई हैं, अतएव इनकी सक्रियता आपूर्ति p´ की तरफ़ बढ़ गई है। मसलन उत्पादों का प्रसंस्करण, विपणन, शुष्कन इत्यादि कार्य मछुआरिनों की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ बन चुके हैं। समूचे तटीय इलाक़ों में फेरी (घूम कर) के द्वारा मत्स्योत्पादों को बेचने का प्रचलन है जो विशेषकर महिलाओं द्वारा ही संचालित

---

[16] पगड़िया पद्धति समुद्र में मछली पकड़ने का एक ऐसा तरीक़ा है जहाँ नौकाओं का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें पग (पैरों) से चल कर मछली पकड़ी जाती है. यह मुख्य रूप से छिछले समुद्र तट, समतल पंक क्षेत्र और अंतराज्वारीय क्षेत्र में प्रचलित है जहाँ उच्च ज्वार से ठीक पहले लोग जाल बिछा देते हैं. ज्वार के पानी के साथ-साथ असंख्य मछलियाँ आती हैं और फँस जाती हैं. पानी के उतरने के पश्चात लोग जाल में फँसी मछलियाँ अलग कर लेते हैं. दक्षिण गुजरात तथा कच्छ के समतल समुद्र तट में लंबे जाल बिछाए जाते हैं. हालाँकि आज औद्योगीकरण के दौर, जहाँ समुद्र तटों पर भारी प्रदूषण है, उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.

होता है। यहाँ महिलाएँ टोकरियों में ताज़ा तथा सूखे मत्स्योत्पादों को लेकर आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए बेचती हैं। यह मछुआरा परिवारों के आय का एक मुख्य ज़रिया है।

गुजरात तथा देश की मात्स्यिकी का एक महत्त्वपूर्ण अंग जलीय उत्पादों का शुष्कीकरण (सूखी मछली) का सेक्टर है जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही संचालित होता है। वे उत्पादों को विभिन्न पद्धतियों (जैसे धूप तथा आग में शुष्कन) द्वारा सुखाती हैं तथा देश के विभिन्न कोनों तक निर्यात भी करती हैं। इसका अपना एक वृहत एवं विकसित लोकप्रिय बाज़ार है। इनमें सबसे लोकप्रिय 'बॉम्बे डक' प्रजाति की मछली है जिसे स्थानीय भाषा में 'बुमला' कहते हैं। इस प्रजाति की मछली का गुजरात में भारी मात्रा में संग्रहण और शुष्कन होता है तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में निर्यात होता है। अगर आप गुजरात के तटीय इलाक़ों में आएँगे तो मछुआ बस्तियों में बाँस के खंभों के सहारे बँधी रस्सियों में सूखते हुए बुमलों को लटकते हुए पाएँगे। मछुआरा समुदायों द्वारा तटों का इस्तेमाल इन गतिविधियों के लिए होता है जो संग्रहण के उपरांत की प्रक्रिया है।

प्रस्तुत तालिका मछुआरा समुदाय में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है :

मात्स्यिकी में	**मात्स्यिकी के बाहर**
उत्पादों का अवतरण, जमा करना, छँटाई करना; पूर्व-विपणन जैसे- अवतरण स्थल अथवा बाज़ार में व्यापारियों के लिए उत्पादों का वज़न करना, विपणन, विक्रय, फेरी; कवच मछली, लेवटा, शैवालों, तथा केकड़ों का संग्रहण करना; धूप तथा आग में शुष्कन, लवणीकरण; जाल बुनना, मरम्मत करना, समेटना, सफ़ाई करना जलकृषि संबंधित गतिविधियाँ; मात्स्यिकी से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ; प्रसंस्करण कारख़ानों में कामगारी;	कृषि तथा ग़ैर-कृषि गतिविधियों में दैनिक मज़दूरी, कृषि-कार्य, हस्तशिल्प, दुकानदारी, घरेलू काम, नौकरी;
घर-गृहस्थी में	**समुदाय में**
सामान्य दिनों तथा पुरुषों के समुद्र में जाने के दौरान परिवार का प्रबंधन करना, भोजन की जिम्मेवारी, बच्चों का लालन-पालन, मातृत्व, पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों का निर्वहन करना, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की जिम्मेवारी;	सामुदायिक संगठनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका, स्थानीय शासन, धार्मिक गतिविधि, अधिकार संबंधी आंदोलन, मछुआरा संगठन आदि में योगदान;

मौसमी प्रवास गुजरात की मात्स्यिकी का एक अहम हिस्सा है जहाँ मछुआरे संग्रहण के लिए तटों पर एक ख़ास अवधि के लिए निवास करते हैं। वस्तुतः यह समय मॉनसून के महीनों को छोड़कर पूरे साल होता है। इसके अनेक कारण हैं। पहला मुख्य कारण यह है कि सभी गाँव तट पर स्थित नहीं हैं। अनेक गाँव ऐसे हैं जो समुद्र तट से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसी स्थिति में समुद्री मछुआरों को तट पर झोपड़ी अथवा अन्य प्रकार के अस्थायी आश्रय बना कर रहना पड़ता है। यहाँ से गाँवों की तरफ़ आवागमन होता रहता है। दूसरा मामला यह है कि भारी संख्या में दक्षिण गुजरात में मछुआरे कच्छ के तटवर्ती इलाक़े, जैसे जखौ, आदि स्थानों में मछली पकड़ने के लिए मौसमी प्रवास करते हैं। इन दोनों मामलों में मछुआरे सपरिवार ऐसे अस्थायी आश्रयों में निवास करते हैं जहाँ सुविधाओं की अत्यंत कमी रहती है। इन झोपड़ियों में बिजली-पानी, और शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। कुछ इलाक़े तो ऐसे हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क तथा सड़क भी नहीं होती है। इन तमाम परिस्थितियों में सबसे अधिक कष्टप्रद महिलाओं का जीवन है। मात्स्यिकी में पुरुषों के बराबर काम करने के साथ-साथ इन्हें तमाम स्थानीय ज़रूरतों का ख़याल रखना पड़ता है जैसे पीने का पानी, ईंधन के लिए लकड़ी, स्वयं तथा परिवार का स्वास्थ्य आदि। कच्छ के मुंद्रा तालुका में भद्रेश्वर तथा लूनी स्थित ऐसी बसावटों में क्षेत्रकार्य के दौरान यहाँ की महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। उनके अनुसार, तट पर बनी इन सुविधाहीन बसाहटों में जीवन बेहद ही कठिन है। ऊपर से आस-पास के कारख़ानों से बहाए गए दूषित तथा केमिकल युक्त कचरे इनके स्वास्थ्य पर बेहद प्रतिकूल

असर डाल रहे हैं। गाँव के निकट होने पर इनका परिवार लगभग प्रतिदिन आना-जाना करता है। ऐसी जगहों पर जहाँ गाँव ज़्यादा दूर होता है, इन्हें यहीं झोपड़ियों में हफ़्तों तक निवास करना पड़ता है। जखौ जैसे स्थानों पर, जहाँ प्रवासी मछुआरे दक्षिण गुजरात जैसे सुदूर इलाक़ों से आकर लंबे समय तक रहकर मछली पकड़ते हैं, स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ रहने वाले समुदाय शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस अवस्था में महिलाओं का जीवन पुरुषों की अपेक्षा अधिक कष्टप्रद हो गया है।

विकास और हाशियाकरण

विकासशील देशों के साथ-साथ भारत में भी मछुआरों की सामाजिक स्थिति आज भी दयनीय है। वे अक्सर समाज में हाशिये पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में महिलाओं का जीवन ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है। मछुआरा समुदाय में विशेषतः महिलाओं के लिए लिंग, जाति तथा वर्ग के बीच के अंतःसंबंध बेहद जटिल तथा प्रतिकूल पाए गए हैं। परिवारों के भीतर लैंगिक समानता तथा परिवारों की उर्ध्वगामी वर्ग गतिशीलता, स्थानीय जाति पदानुक्रम में उच्च सामाजिक स्थिति में परिणति नहीं हो पाई है। कुछ परिवारों के आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद पारंपरिक निम्न स्तरीय जाति तथा व्यवसाय के कारण स्थानीय समाजों में इन समतावादी परिवारों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान की कमी देखी गई है।

मात्स्यिकी में कामगारों के बीच सीधे तौर पर पारिश्रमिक में भेदभाव पाया जाता है। महिला श्रमिकों को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे मिलते हैं। पूर्व-संग्रहण, संग्रहण तथा संग्रहण के उपरांत के क्षेत्र में महिलाओं को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। प्रसंस्करण कारख़ानों में इनका पारिश्रमिक पुरुषों से कम होता है और साथ ही काम का दबाव हमेशा अधिक होता है। वेरावल के प्रसंस्करण कारख़ानों में महिलाएँ अनौपचारिक ठेका मज़दूर के रूप में काम करती हैं तथा उनकी पहुँच निम्न स्तरीय कार्यों तक ही सीमित रहती है। नियमित, प्रशासनिक तथा प्रबंधन के स्तर तक उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई है।

उत्पादों के विपणन हेतु महिलाओं की बाज़ार तक पहुँच और आमदनी में सहभागिता समुदाय में इनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करती है। बाज़ार तथा बाहर की दुनिया तक पहुँच महिलाओं को एक वृहत दृष्टिकोण प्रदान करती है क्योंकि वे यहाँ विभिन्न स्तरों पर विक्रेता, उपभोक्ता सरीखे अन्य सहभागियों के साथ व्यवहार करती हैं।[17] तथापि, नायक (2005) के अनुसार इसका तात्पर्य यह क़तई नहीं है कि समुदायों ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। उत्पादन की प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान परिवार के साथ-साथ समुदाय के स्तर पर निर्णयन में सहभागिता सुनिश्चित नहीं करती है। यह रूढ़िवादी पितृसत्ता और धर्म है जो समुदायों में सामाजिक जीवन का संचालन करते हैं। हालाँकि इन समुदायों के पास सक्रिय सामुदायिक संचालन प्रणाली है फिर भी महिलाओं की भूमिका यहाँ काफ़ी संकुचित है। समुदायों द्वारा

[17] नलिनी नायक (2005) : 01-19.

महिला संबंधित समस्याओं (जैसे शौचालय, ईंधन, पानी, तथा अन्य सुविधाएँ आदि) का कम ही निराकरण होता है जिससे मछुआरिनों की स्थिति और भी कमज़ोर होती है। [18]

परंपरागत तथा छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में महिलाएँ प्राथमिक रूप से कौशल आधारित कार्यों में व्यस्त रहती हैं। प्रसंस्करण और खुदरा विपणन सरीखे क्षेत्र महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। पिछले कुछ सालों में मात्स्यिकी में महिलाओं पर बड़ी संख्या में शोध होने के बावजूद मात्स्यिकी आँकड़ों में महिला श्रम लगातार अदृश्य रहा है क्योंकि इन गतिविधियों की गिनती गौण क्षेत्र में होती है,[19] और ऐसे आँकड़े सामान्यतः एकत्र नहीं किए जाते। साथ ही इन्हें आँकड़ों में रूपांतरित करना बेहद कठिन है। ऐसे दौर में जब औद्योगिक मात्स्यिकी छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को समाप्त कर रही है, भारी संख्या में असंगठित मज़दूर, मुख्यतः महिलाएँ छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को सहारा दे रही हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं का अस्वीकृत तथा अवैतनिक श्रम छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रहा है। ये वही महिलाएँ हैं जिन्होंने छोटे पैमाने के मात्स्यिकी समुदायों के लचीलेपन को बरक़रार रखा है।

अनेक विकसित तथा विकासशील देशों में महिलाओं का समुद्र में सीधे तौर पर संग्रहण के लिए जाना सांस्कृतिक वर्जना (टैबू) के तौर पर देखा जाता है तथा इस कार्य के लिए समाज के द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। वलसाड के स्थानीय अवतरण केंद्रों पर तथा मछली बाज़ारों में महिलाओं से बातचीत समुदायों की गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाओं पर प्रकाश डालता है। अधिकांश महिलाएँ यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि वे नौकाओं पर मछली पकड़ने क्यों नहीं जाती हैं? शारीरिक बनावट को इंगित करते हुए लगभग सबों ने एक जैसे उत्तर दिए कि महिलाएँ नावों से मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि यह एक ख़तरनाक काम है। यह जानने के बावजूद कि महिलाएँ काम करने में पुरुषों से किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं हैं, वे बार-बार यही कहती रहीं कि समुद्र में मछली पकड़ना पुरुषों का काम है।

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर

दक्षिण गुजरात तथा कच्छ के उद्योग बहुल तटों पर काम करने वाली महिलाएँ अक्सर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से घिरी रहती हैं। शुद्ध हवा, पेयजल तथा साफ़ वातावरण की कमी से उपजे रोग इन महिलाओं में सामान्य होते जा रहे हैं। कच्छ में मांडवी तालुक़ा के सलाया गाँव के आस-पास दो बड़े थर्मल विद्युत् संयंत्र हैं। यहाँ स्थानीय महिलाओं ने अपने संक्रमित पैर दिखाए जो संभवतः तटों पर व्याप्त प्रदूषण के कारण हुए थे। इन इलाक़ों में पगड़िया पद्धति प्रचलित है जहाँ चलकर मछली पकड़ना पड़ता है। ऐसी मानव-जनित एवं प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। संसाधनों तक पहुँच

[18] वही.

[19] नीलांजन बिश्वास (2011) : 01-41.

तथा इन पर नियंत्रण की कमी महिलाओं को इन आपदाओं के लिहाज से ज़्यादा सुभेद्य बनाता है। प्रदूषण जनित समस्याओं की शिकार महिलाओं की स्थिति दक्षिण गुजरात में भी लगभग ऐसी ही है जो गुजरात का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। रुग्णता, पोषण की कमी, अशिक्षा, मृत्यु-दर, लिंगानुपात आदि अनेक ऐसे सूचक हैं जो मछुआरिनों के प्रति सामाजिक-आर्थिक भेदभाव तथा उनके हाशियाकरण को दर्शाते हैं।

अगर प्रसंस्करण केंद्रों की बात करें, जहाँ प्रवासी के साथ-साथ स्थानीय मछुआरा समुदाय की महिलाएँ भी काम करती हैं, तो उन्हें भी कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वेरावल के प्रसंस्करण कारख़ानों में कार्यरत महिला कामगारों के बीच क्षेत्र कार्य के दौरान साक्षात्कार दाताओं ने बताया कि प्रसंस्करण का काम काफ़ी जटिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बेहद सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता है। इन कारख़ानों में कामगारों को लक्ष्य आधारित कार्य, न्यूनतम मज़दूरी, लंबी कार्यावधि, व्यावसायिक ख़तरे, न्यूनतम विश्राम, स्वच्छता की कमी आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए कारख़ानों में लगातार न्यूनतम तापमान बरक़रार रहता है तथा उन्हें ठंडे माहौल में काम करना पड़ता है जिससे कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कामगारों के बीच स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे सर्दी-खाँसी, जोड़ों का दर्द आदि सामान्य हो गए हैं। साथ ही शौचालय तथा स्वच्छ पीने योग्य पानी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से कामगारों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायतें की गईं। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को सर्वाधिक तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान यहाँ काम करना कठिन हो जाता है तथा मासिक धर्म के समय स्वच्छता को बरक़रार रखना एक चुनौती बन जाती है। ऐसी स्थिति में जहाँ महिलाएँ उचित तथा बराबर मज़दूरी के लिए संघर्ष कर रही हैं, स्वास्थ्य कारणों से काम में अनुपस्थिति उनकी मासिक आय को काफ़ी कम कर देती है। यहाँ कामगारों को स्वयं को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ता है। मात्स्यिकी संग्रहणोत्तर के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का जीवन स्वास्थ्य, मज़दूरी तथा उत्कृष्ट कार्य[20] की चुनौतियों से परिपूर्ण है तथा बेहद दयनीय है। इसी बीच, ज्ञातव्य हो कि भारत तथा गुजरात का प्रसंस्कृत मत्स्योत्पादों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है तथा आय में भी वृद्धि हो रही है।

नारीवादी राजनैतिक सिद्धांतवादी मारियारोसा दल्ला कोस्टा तथा समाजशास्त्री मोनिका चिलेसे ने अपनी चर्चित पुस्तक आवर मदर ओशियन (2014) में जलकृषि फ़ार्मों तथा कारख़ानों को 'ब्लू फ़ैक्ट्रीज़' की संज्ञा दी है जहाँ महिलाएँ तथा बच्चे प्रतिदिन आठ-दस घंटे बेहद ख़राब तथा नुक़सानदेह परिस्थितियों में कार्यरत हैं। इनके अनुसार औद्योगिक मात्स्यिकी बड़ी तेज़ी से परंपरागत मात्स्यिकी में उपलब्ध रोज़गारों का प्रतिस्थापन कर रही है, और रोज़गार के मोर्चे पर महिलाएँ हाशिए की तरफ़ धकेली जा रही हैं।

---

[20] डिसेंट वर्क : *सतत विकास का आठवाँ लक्ष्य*, संयुक्त राष्ट्र.

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में महिला के लिए विशेष कोई योजना दिखाई नहीं देती। साथ ही मात्स्यिकी में हाल में हो रहे विभिन्न प्रौद्योगिक-तकनीकी बदलाव तथा नवीनीकरण पुरुष केंद्रित हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मछुआरा समुदायों में महिलाओं का तकनीकी रूप से हाशियाकरण भी हो रहा है। ऐसी मशीनों का निर्माण होना चाहिए जिसे महिला वर्ग आसानी से चला कर जीविकोपार्जन में स्वतंत्र रूप से महती भूमिका निभा सके। इससे महिला कामगारों की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुषों की सत्ता पर आघात हो सकेगा। साथ ही महिलाओं का संसाधनों पर स्वामित्व भी बढ़ेगा जो आज नगण्य है।

उपसंहार

उपर्युक्त चर्चा से यह प्रतीत होता है कि विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगितात्मक सहभागिता होने के बावजूद मात्स्यिकी में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है। अधिकतर महिलाओं का भौतिक और पूँजीगत संसाधनों, नीति-निर्धारण, नेतृत्व, एवं शिक्षा तक पहुँच तथा नियंत्रण नहीं है। उनकी व्यक्तिगत गतिशीलता मौजूदा सामाजिक संरचना के कारण सीमित हो गई है। समुदायों के भीतर न्यायसंगत लैंगिक संबंधों के माध्यम से ही महिलाओं की दक्षता, लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार लाया जा सकता है। उनका कल्याण संसाधनों पर पहुँच तथा नियंत्रण के द्वारा ही हो सकता है। सामुदायिक स्तर पर उनका सशक्तीकरण ही भविष्य में बड़े सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।

संदर्भ

इंदिरा हिरवे, एस.पी. कश्यप, एवं अमिता शाह (2002), 'इंट्रोडक्शन', इंदिरा हिरवे एवं अन्य (सं.), *डायनामिक्स ऑफ़ डेवलपमेंट इन गुजरात*, सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज़, अहमदाबाद, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.

एम.जे. विलिअम्स, एम. नंदीशा, वी. कोर्रेल, इ. टेक, एवं पी. चू (2001), 'स्वागत टिप्पणी', इंटरनैशनल सिम्पोज़ियम ऑन विमेन इन एशियन फ़िशरीज़, चियान्ग मई, थाईलैंड (13 नवंबर, 1998) : 06.

गीता सेन एवं कारेन ग्रोन (1987), 'डेवलपमेंट, क्रायसिस, ऐंड अल्टरनेटिव डिवीज़ंस : थर्ड वर्ल्ड विमेंस पर्सपेक्टिव्स', *मंथली रिव्यू प्रेस,* न्यू यॉर्क.

जेनेट रुबिनोफ़ (1999), 'फ़िशिंग फ़ॉर स्टेटस : इम्पैक्ट ऑफ़ डेवलपमेंट ऑन गोवाज़ फ़िशर विमेन', *विमेंस स्टडीज इंटरनैशनल फ़ोरम*, खंड 22, (सं.) 6, एल्स्वियर (नवंबर-दिसंबर 1999) : 631-644.

डेरेक जॉनसन (2001), 'वेल्थ ऐंड वेस्ट : कांट्रास्टिंग लेगैसीज़ ऑफ़ फ़िशरीज़ डेवलपमेंट इन गुजरात सिंस 1950', *इकॉनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली*, खंड 36, अंक 13, (31 मार्च, 6 अप्रैल, 2001) : 1095-1097+1090-1102.

नलिनी नायक (2005), *शार्पनिंग द इंटरलिंकेजेज़ : टुवर्ड्स फ़ेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ़ लाइव्ली हुड इन कोस्टल कम्युनिटीज़*, सेमिनार ऑन विमेंस लाइव्लीहुड इन कोस्टल कम्युनिटीज़ : मैनेजमेंट ऑफ़ द एनवायर्नमेंट ऐंड नेचुरल रिसोर्सेज, द इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, बंगलौर.

निकिता गोपाल (2015), *हाफ़ द फ़िशर्स इन द वर्ल्ड*, *येमाया*, अंक 50, द *इंटरनैशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ़ फ़िशवर्कर्स*, चेन्नई, दिसंबर (2015) : 19-22.

नीलांजन बिश्वास (2011), *टर्निंग द टाइड : विमेंस लाइव्स इन द फ़िशरीज़ ऐंड द असाल्ट ऑफ़ कैपिटल*, ओकेज़नल पेपर, आई.सी.एस.एफ़, चेन्नई.

मारियारोसा दल्ला कोस्टा एवं मोनिका चिलेसे (2014), आवर मदर ओशन, कॉमन नोशंस, यू एस ए.

समुद्र मात्स्यिकी जनगणना (2010), पशुपालन, डेयरी, एवं फ़िशरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं मरीन फ़िशरीज़ रिसर्च इंस्टिट्यूट, कोच्ची.

हैंडबुक ऑन फ़िशरीज़ स्टैटिस्टिक्स (2020), फ़िशरी, पशुपालन, एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार.